

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 594/2024**

News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जलस्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13.04.2024

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Action Taken Report On Behalf Of The District Magistrate Lucknow As Respondent No- 05, In Compliance With The Hon'ble Ngt Order Dated 26-09-2025, Alongwith The Supporting Affidavit	1-14
2.	ANNEXURE-P/1:- A True Copy Of Order From Office Of District Magistrate.	15
3.	ANNEXURE-P/2:- True Copy Of Mom Of Meetings Held On 29-11-2025 & 06-01-2026.	16-26
4.	ANNEXURE -P/3:- A True Copy Of Water Bodies Report Of Municipal Corporation,Lucknow & Lucknow Development Authority, Lucknow.	27-31

5.	ANNEXURE-P/4:- A True Copy Of Details Of Water Conservation Works Completed And Being Done In District Lucknow.	32-39
6.	ANNEXURE-P/5:- A True Copy Of Details Of Water Conservation Works Completed And Being Done In District Lucknow By Irrigation Department	40
7.	ANNEXURE P/6 :- A True Copy Of Government Order (GO) issued by Government of Uttar Pradesh, Housing and Urban Planning Department to strengthen the mandatory provisions relating to Rain Water Harvesting and Groundwater Recharge in buildings and development projects.	41-46

THROUGH


PRIYANKA SWAMI

Standing Counsel for the State of UP.

F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,

New Delhi- 110014

Place:- New Delhi
Dated : 10.03.2026

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 594/2024**

News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जलस्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13.04.2024

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW AS RESPONDENT NO- 05, IN COMPLIANCE WITH THE HON'BLE NGT ORDER DATED 26-09-2025, ALONGWITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. That this Compliance Report is being filed in pursuance of the Hon'ble National Green Tribunal's order dated 26.09.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed the District Magistrate, Lucknow, and the Municipal Commissioner, Lucknow Municipal Corporation, to place on record:

- i. details of water bodies falling within the jurisdiction of the Municipal Corporation, Lucknow;



ASHOK CHANDRA SINGH
ADVOCATE & NOTARY
859 Cha/84, Prem Nagar
Mumbagh, Lucknow

11/03/26


- 277
- ii. the status of encroachments on such water bodies;
 - iii. their present condition; and
 - iv. the progress in implementation of the Block-wise Ground Water Management Plan prepared under the National Aquifer Mapping (NAQUIM) study by the Central Ground Water Board (CGWB).

2. That it is respectfully submitted that in compliance with the aforesaid order of this Hon'ble Tribunal, directions were issued from the Office of the District Magistrate, Lucknow to the Municipal Commissioner, Lucknow Municipal Corporation and the Vice-Chairman, Lucknow Development Authority, directing them to prepare and submit an updated report with respect to all water bodies falling within their respective jurisdictions.

The said directions required preparation of a structured inventory of water bodies including their present physical condition, details of encroachments, status of restoration and rejuvenation works and other relevant information so that a consolidated report may be submitted before this Hon'ble Tribunal.

A true copy of order from office of district magistrate is annexed herewith as ANNEXURE-P/1

3. That it is further submitted that a series of review meeting was convened under the chairmanship of the District Magistrate, Lucknow, with all




ASHOK CHANDRA SINHA
DISTRICT MAGISTRATE
LUCKNOW
11/03/20

concerned departments including Municipal Corporation, LDA, Revenue, Irrigation, and Ground Water Department. During these meeting, directions were issued to compile a comprehensive and updated report on water bodies, including progress on encroachment removal, restoration works, geo-tagging, and boundary demarcation. All departments were instructed to finalize and submit the updated datasets within the prescribed timelines for inclusion in the compliance report to be filed before the Hon'ble Tribunal. **A true copy of the MoM is annexed here as ANNEXURE-P/2**

4. That in compliance of the said directions, the following factual details and progress reports are respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal as submitted to the undersigned by respective responsible Officers/agencies.

I. DETAILS OF WATER BODIES IN LUCKNOW MUNICIPAL AREA

S. No.	Category	Total No. of Water Bodies Identified & Area (in hectare)	Encroached area (in hectare)	Encroach free area (in hectare)	Remarks
1	Total Ponds / Amrit Sarovars under the jurisdiction of	1812 Nos, Area- 594.128 Ha	76.919Ha	517.209Ha	Detailed Report Annexed



ASHOK CHANDRA SINHA


11/3/20

2	Municipal Corporation Lucknow Lucknow Municipal Corporation maintained Amrit Sarovars/ponds	12 Nos, Area- 28.47Ha	Nil	28.47	Restored / maintained by LMC under <i>Amrit Sarovar Abhiyan</i>
3	Lucknow Development Authority(LDA)- maintained Water Bodies / Wetland,etc	11 Nos., Area – 48.64 Ha	Nil	48.64	Being maintained by LDA.

A True Copy Of Water Bodies Report Of Municipal Corporation, Lucknow & Lucknow Development Authority, Lucknow is attached herewith and marked as Annexure P/3

II. IMPLEMENTATION OF BLOCK-WISE GROUND WATER MANAGEMENT PLAN (NAQUIM)

In compliance of Hon'ble NGT directions and as per the CGWB Block-wise Management Plan (AAP 2021), progress achieved in last 05 years up to November 2025 is as under:



(Signature)
ASHOK CHANDRA SINGH
 ADVOCATE & NOTARY
 560 Cha/84, Premi Nagar
 Wambagh, Lucknow
 11/03/20

Block Name	Category (CGWB 2024)	Major Recommendations	Progress / Status (as of Nov 2025)
Malihabad	Semi-critical	Ponds, check dams, Bunds, micro-irrigation, WUE practices.	77 ponds & 02 bunds rejuvenation/repair under MNREGA; 1 Check dam constructed & 33 government buildings covered with roof top rainwater harvesting system by Minor irrigation; micro-irrigation under PMKSY-236.60 Ha; Contour Bund-204.63 hectare, Marginal/Peripheral Bund-392.27 hectare, Levelling-98.40 hectare, Check Dam-18.08 hectare & 1 farm pond constructed.
Chinhat	Safe	Ponds, check dams, Bunds, micro-irrigation, WUE practices.	11 ponds rejuvenation/repair under MNREGA; 04 Ponds rejuvenated & 28 government buildings covered with roof top rainwater harvesting system by Minor irrigation; micro-irrigation under PMKSY-26.21 Ha; Contour Bund-43.23 hectare, Marginal/Peripheral Bund-70.30 hectare, Levelling-



ASHOK CHANDRA SINHA
 ADVOCATE & NOTARY
 95/1, Cha/B4, Prom Nagar
 Varanasi, U.P. 221001

11/03/20


Sarojini Nagar	Safe	Ponds, check dams, Bunds, micro- irrigation, WUE practices.	45.19 hectare & 1 farm pond constructed. 102 ponds rejuvenation/repair under MNREGA; 02 Ponds rejuvenated, 10 Check dam constructed & 26 government buildings covered with roof top rainwater harvesting system by Minor irrigation; micro- irrigation under PMKSY- 65.42 Ha; Contour Bund- 28.19 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 61.96 hectare & 52 farm pond constructed.
Bakshi Ka Talab	Safe	Ponds, check dams, Bunds, micro- irrigation, WUE practices.	148 ponds rejuvenation/repair under MNREGA; 05 Ponds rejuvenated & 28 government buildings covered with roof top rainwater harvesting system by Minor irrigation; micro- irrigation under PMKSY- 78.66 Ha; Contour Bund- 29.27 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 61.10 hectare, Levelling- 42.11 hectare & 01 farm pond constructed.



ASHOK CHAUDHARI SINHA
ADVOCATE
969 CHSBA, Meerut Nagar
Meerut, U.P.

14/03/20

Wahalganj	Safe	Ponds, check dams, Bunds, micro-irrigation, WUE practices.	142 ponds & 02 bunds rejuvenation/repair under MNREGA; 10 Ponds rejuvenated, 1 check dam constructed & 24 government buildings covered with roof top rainwater harvesting system by Minor irrigation; micro-irrigation under PMKSY-90.15 Ha; Contour Bund-24.18 hectare, Marginal/Peripheral Bund-20.00 hectare, Levelling-21.00 hectare, Check Dam-5.8 hectare & 06 farm pond constructed.
Gosainganj	Safe	Ponds, check dams, Bunds, micro-irrigation, WUE practices.	135 ponds & 02 bunds rejuvenation/repair under MNREGA; 10 check dams constructed & 27 government buildings covered with roof top rainwater harvesting system by minor irrigation; micro-irrigation under PMKSY-47.43 Ha; Contour Bund-137.40 hectare, Marginal/Peripheral Bund-189.81 hectare, Levelling-151.87 hectare, Check Dam- 7.00 hectare & 01 farm pond constructed.



ASHOK CHANDRA SINHA
 ADVOCATE & NOTARY
 460 Chandra, Prem Nagar
 Jhansi, U.P.

11/03/20

Kakori	Safe	Ponds, check dams, Bunds, micro-irrigation, WUE practices.	39 ponds rejuvenation/repair under MNREGA; 5 check dams constructed & 33 government buildings covered with roof top rainwater harvesting system by Minor irrigation; micro-irrigation under PMKSY-86.03 Ha; Contour Bund-69.73 hectare, Marginal/Peripheral Bund-175.80 hectare, Levelling-21.00 hectare & 01 farm pond constructed.
Mal	Safe	Ponds, check dams, Bunds, micro-irrigation, WUE practices.	88 ponds rejuvenation/repair under MNREGA; 4 check dams constructed & 17 government buildings covered with roof top rainwater harvesting system by Minor irrigation; micro-irrigation under PMKSY-293.69 Ha; Contour Bund-284.70 hectare, Marginal/Peripheral Bund-433.96 hectare, Levelling-165.80 hectare, Check Dam- 48.66 hectare & 09 farm pond constructed.




ASHOK CHANDRA SINGH
 ADVOCATE & N. L. R. P.
 989 Cha/84, Prem Nagar
 Meerut, U.P.

A True Copy Of Details Of Water Conservation Works Completed And Being Done In District Lucknow is attached herewith and marked as Annexure P/4

5. That it is further submitted that as part of the implementation of the Block-wise Ground Water Management Plan, the Irrigation Department has undertaken extensive stream development, desilting and drain-cleaning works throughout district Lucknow from the year 2020 onwards, which have significantly contributed to improving groundwater recharge potential.

As per the report received from the department:

- 4,464.715 km of stream development and silt-cleaning works have been completed between 2020–2026 across the eight blocks of the district.
- 2,190.537 km of drain cleaning works have also been carried out.
- In addition, the following major works have been undertaken:
- Desilting of the Gomti River stretch from IIM Road to Shaheed Path, currently under execution.\
- Desilting of the Kukrail River from km 0.000 to km 4.470, which had earlier suffered heavy silt deposition.




ASHOK CHANDRA SINHA
ADVOCATE & NOTARY
989 Cha/84, Preet
Wambagh, Lucknow

- Construction of 10 recharge pits in the Udayganj residential area covering approximately 4.20 hectares, aimed at enhancing groundwater recharge and achieving the objective of Zero Runoff.

A True Copy of Details of Water Conservation Works Completed and Being Done in District Lucknow by Irrigation Department is attached herewith and marked as Annexure P/5


6. That it is further respectfully submitted that the Government of Uttar Pradesh, Housing and Urban Planning Department, vide Government Order dated 19.02.2026, has reiterated and strengthened the mandatory provisions relating to Rain Water Harvesting and Groundwater Recharge in buildings and development projects, directing strict compliance of the same by all development authorities, municipal bodies and planning authorities in the State. The said Government Order also reiterates earlier directions issued from time to time regarding installation of rainwater harvesting systems in government buildings, private developments and large infrastructure projects, and provides for monitoring and compliance mechanisms through the concerned authorities. The implementation of these statutory directions is expected to further strengthen rainwater harvesting infrastructure and groundwater recharge mechanisms within urban areas including district



Ashok Chandra Sinha
ASHOK CHANDRA SINHA
ADVOCATE & NOTARY
509 Cha/S.I. P.O. Noida
11/03/20

ANNEXURE-6. A true copy of the Government order is annexed as

7. That it is respectfully submitted that the combined interventions undertaken across all concerned departments—including large-scale pond rejuvenation, bunding, farm-level water conservation works, micro-irrigation expansion, rooftop rainwater harvesting, and extensive desilting of rivers, canals and drains—have substantially advanced the implementation of the Block-wise Ground Water Management Plan in district Lucknow. These works have directly strengthened natural recharge, improved infiltration opportunities, revived traditional drainage channels and enhanced water use efficiency at the field level. The cumulative impact of more than 700 pond rejuvenations, significant bunding and levelling activities, construction of farm ponds, and over 6,600 km of stream and drain desilting will lead to improvement in surface–subsurface hydrological connectivity. The above initiatives reflect a coordinated, multi-departmental effort toward sustainable groundwater management in compliance with the Hon'ble Tribunal's directions.
8. That the answering respondent respectfully submits that continuous monitoring and coordinated action is being undertaken by all concerned departments to ensure effective groundwater conservation and compliance



ASHOK CHANDRA SINHA
ADVOCATE & NOTARY
569 Cha/34, Main Road
Naini, Lucknow
11/03/20

with the directions of this Hon'ble Tribunal. The answering respondent assures this Hon'ble Tribunal of its full cooperation and strict compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal.

THROUGH

Priyanka...


PRIYANKA SWAMI

Standing Counsel for the State of UP.

F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,

New Delhi- 110014

8800656660



Ashok Chandra Sinha
ASHOK CHANDRA SINHA
ADVOCATE & NOTARY
569, Cha/84, Prem Nagar
Lucknow


BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 594/2024


News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जलस्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13.04.2024

AFFIDAVIT

I Vishak G, aged about 37 years s/o Sh. S.V Ganpathy Iyer, presently posted as District Magistrate-Lucknow, having office at Lucknow, Uttar Pradesh.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.





DEPONENT


ASHOK CHANDRA SINHA
ADVOCATE & NOTARY
569 Cha/84, Prem Nagar
Wambagh, Lucknow

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Lucknow on this 10th day of March, 2026, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT



Sworn and Verified
before me

11/03/26
ASHOK CHANDRA SINHA
ADVOCATE & NOTARY
589, Cha/84, Prem Nagar
Alambagh, Lucknow

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्रांक 736/भूजविखल/एनजीटी/2025-26

लखनऊ: दिनांक: नवम्बर, 24/2025

1. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (राजस्व), लखनऊ।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ0ए0 594/2024 (News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13-04-2024) में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम की वाटर बाडी के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ0ए0 594/2024 (News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13.04.2024) में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के अनुपालन में लखनऊ नगर निगम सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडी का विवरण, उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को दाखिल किए जाने वाले प्रतिशपथ पत्र द्वारा माननीय अधिकरण को अवगत कराया जाना है। माननीय अधिकरण में उक्त वाद की अगली सुनवाई दिनांक 17-12-2025 को निर्धारित है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में विषयगत सूचना सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ, नवां तल इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (gwactlucknow@gmail.com) को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिससे समयबद्ध रूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सके।

भवदीय,
(विशाख जी)
जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या 736 / भूजविखल / एनजीटी / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ।

(विशाख जी)
जिलाधिकारी, लखनऊ

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ।

पत्रांक: 939 / एन0जी0टी0 / भू0ज0वि0लखनऊ /

लखनऊ:दिनांक:जनवरी 27, 2026

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई-दिल्ली में लम्बित वाद संख्या: 594 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम की सीमा में स्थित वाटर वाडीस के सर्वे से सम्बन्धित आहूत बैठक में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम के पत्र संख्या डी 765 / एन0सी0 / का0त0 / 25, दिनांक 11-12-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि 307 तालाबों के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लेखपालों की ड्यूटी निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य में होने के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। लखनऊ नगर निगम की सीमा में स्थित वाटर बाडीज की अद्यतन स्थिति तथा उनपर हुए अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का सर्वे समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06-01-2026 को सम्पन्न बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27-01-2026 को सांयकाल 07:00 बजे जिलाधिकारी महोदय के कैंप कार्यालय में बैठक आहूत की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि विषयगत आहूत बैठक में सुसंगत सूचना / अभिलेख सहित ससमय प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय



(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पत्रांक: / एन0जी0टी0 / भू0ज0वि0लखनऊ / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी, महोदय, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ।
3. सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ।

(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

संख्या: 664 / डी0एल0आर0सी0 / 2019

दिनांक: 09, जनवरी, 2026

विषय:— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-594/2024(New Item titled) लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 वर्ग फुट नीचे चला गया जल स्तर से मिल रहे खतरनाक संकेत Appearing in navbharatimes-indiatimes-com dated 13-04-2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम की वाटर बाड़ी के संबंध में।

उपजिलाधिकारी,

सदर, सरोजनीनगर, बक्शी का तालाब, मोहनलालगंज

जनपद लखनऊ।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 642/डीएलआरसी/रा0ह0अधि0/जल स्तर/2025 दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक नगर आयुक्त/प्र0अधि0 (सम्पत्ति) लखनऊ के पत्र संख्या-डी/724/काल0/25 दिनांक 28.11.2025 एवं कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र संख्या-736/भू0ज0वि0ख0ल0/एन0जी0टी0/2025-26 दिनांक 24 नवम्बर, 2025 के क्रम में आपको अवगत कराया गया है मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ0ए0 594/2024 Appearing in navbharattimest-indiatimes-com dated 13-04-2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के अनुपालन में नगर सीमा में स्थित समस्त वाटर बाड़ी का विवरण उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थित की जाँच समस्त तहसीलों के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व नगर निगम की टीम द्वारा संयुक्त रूप किया जाना है।

नगर निगम से समन्वय स्थापित कर राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम के माध्यम से उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही की अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है।

अतः "नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत पायी जाने वाली वाटर बाड़ीज/तालाबों के संबंध में सूचना का प्रारूप" इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि नगर सीमा में स्थित समस्त वाटर बाड़ी का विवरण उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थित की वांछित सूचना दो दिवस के अंदर संलग्न प्रारूप पर अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोपरि।



(डा0शुभी सिंह)

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

लखनऊ

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त/प्र0आ0(सम्पत्ति), लखनऊ को संलग्न प्रारूप पर नगर निगम की वाटर बाड़ी का रजिस्टर दो प्रतियों में तैयार कर एक रजिस्टर, प्रमाणित करते हुये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

लखनऊ

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ0ए0 594/2024 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 व 17-12-2025 के आलोक में दाखिल किए जाने वाले प्रतिशपथ-पत्र पर विमर्श हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06-01-2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

1. बैठक में निम्नवत अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:
 - अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ।
 - श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
 - श्री रामेश्वर, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
 - श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
 - श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
 - श्री आदित्य कुमार पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ।
2. बैठक के प्रारम्भ में सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लम्बित वाद संख्या ओ0ए0 594/2024 के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति तथा उक्त वाद में दिनांक 26-09-2025 व 17-12-2025 को पारित आदेश में जिलाधिकारी महोदय की ओर से दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में माननीय अधिकरण द्वारा अपेक्षित प्रगति सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।
3. यह भी अवगत कराया गया कि दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में मुख्यतः निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रगति अपेक्षित है:-
 - केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा विकसित विकास खण्डवार प्रबन्धन योजना/मैनेजमेन्ट प्लान के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति।
 - लखनऊ नगर निगम सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडी का विवरण, उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थिति।
4. अवगत कराया गया कि प्रबन्धन योजना के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यदायी विभागों यथा लघु सिंचाई, उद्यान, भूमि संरक्षण, सिंचाई तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गत 05 वर्षों में किये गये जल संरक्षण कार्यों की सूचना प्राप्त कर ली गयी है।
5. अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण के समक्ष दिनांक 17-12-2025 को उक्त वाद में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी थी, मा0 अधिकरण द्वारा वाद में सुनवाई की अगली तिथि 12-03-2026 निर्धारित की है।
6. उक्त वाद में सुनवाई की निर्धारित तिथि 12-03-2026 से पूर्व दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये:
 - नगर निगम सीमा में स्थित 86 मोहल्ले (122 ग्राम) के राजस्व अभिलेख जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, में निर्धारित प्रारूप पर वाटर बाडी, उनके अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वे का कार्य सम्बन्धित तहसील व नगर निगम के राजस्व प्राधिकारियों से समन्वय कर संकलित प्रगति रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाये।
(कार्यवाही-सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ)
 - उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा में स्थित अन्य समस्त ग्राम पंचायतों में स्थित समस्त वाटर बाडी, अतिक्रमण, जीर्णोद्धार तथा अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में निर्धारित

प्रारूप पर सर्वेक्षण कार्य सम्बन्धित तहसील के राजस्व प्राधिकारियों से समन्वय कर प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए संकलित प्रगति रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम तथा सम्बन्धित तहसील, लखनऊ)

- लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा लखनऊ नगर निगम द्वारा तहसीलवार नोडल अधिकारी नामित कर उक्त कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने हेतु नियमित अनुश्रवण करते हुए अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही- लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लखनऊ तथा भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ)

उक्त निर्देशों के उपरान्त बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(डा० शुभी सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
लखनऊ।

कार्यालय

जिलाधिकारी, लखनऊ।

सं० ४५९ / भू०ज०वि०ख०ल० / एन०जी०टी० / 2025-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
5. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. समस्त उपस्थित अधिकारीगण।
7. सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ।

दिनांक ९/१/२६

१

(डा० शुभी सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
लखनऊ।

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ।
2. उपायुक्त महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, सदर/सरोजनी नगर/बक्शी का तालाब/मोहनलाल गंज, लखनऊ।

पत्रांक: 855 / एन0जी0टी0/भू0ज0वि0लखनऊ/ लखनऊ:दिनांक:जनवरी 6, 2026

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई-दिल्ली में लम्बित वाद संख्या: 594/2024 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम की सीमा में स्थित वाटर बाडीस के सर्वे से सम्बन्धित आहूत बैठक में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम के पत्र संख्या डी 765/एन0सी0/का0त0/25, दिनांक 11-12-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि 307 तालाबों के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लेखपालों की ड्यूटी निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य में होने के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। इस कार्य हेतु नगर निगम तथा राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही की जानी है, के सन्दर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई-दिल्ली से सुनवाई हेतु नियत तिथि 17-12-2025 को अतिरिक्त समय की मांग की गयी। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई-दिल्ली ने उक्त के क्रम में अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 12-03-2026 नियत की है। उक्त सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06-01-2026 को अपराह्न 06:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, लखनऊ में बैठक आहूत की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि विषयगत आहूत बैठक में सुसंगत सूचना/अभिलेख सहित ससमय प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(Handwritten Signature)

(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पत्रांक: 855 / एन0जी0टी0/भू0ज0वि0लखनऊ/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी, महोदय, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ।
3. सीनियर हाइड्रोलॉजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ।
4. सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ।

(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
लखनऊ।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
सदर/सरोजनी नगर/बक्शी का तालाब/मोहनलाल गंज,
लखनऊ।

पत्रांक: 825 / एन0जी0टी0 / भू0ज0वि0लखनऊ /

लखनऊ:दिनांक:दिसम्बर 26, 2025

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई-दिल्ली में लम्बित वाद संख्या: 594/2024 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम स्थित वाटर बाडी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम के पत्र संख्या डी 765/एन0सी0/का0त0/25, दिनांक 11-12-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नगर निगम सीमा में सम्मिलित वाटर बाडी के अद्यतन स्थिति व उनपर हुए अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु तहसीलों से सम्बन्धित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व राजस्व प्राधिकारियों को संयुक्त रूप से नगर निगम प्राधिकारियों के साथ यह कार्य सम्पन्न कराया जाना है।

माननीय अधिकरण द्वारा उक्त वाटर बाडी से सम्बन्धित रिपोर्ट को जिलाधिकारी महोदय की ओर से दाखिल किए जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में सम्मिलित किए जाने के निर्देश दिये गये है तथा उक्त वाद में अगली सुनवाई दिनांक 12-03-2026 को नियत है।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिए जाते है कि उपरोक्त की जांच संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक व लेखपालों को अपने स्तर से निर्देश निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया

(डा0 शुभी सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

लखनऊ

पत्रांक: 825 / एन0जी0टी0 / भू0ज0वि0लखनऊ / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।

(डा0 शुभी सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

लखनऊ

297

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या आ।०९० ५१४ / २०२४ में पारित आदेश दिनांक २६-०९-२०२५ पर दाखिल किए जाने वाले प्रतिशपथ-पत्र पर विमर्श हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक २९-११-२०२५ को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

1. बैठक में निम्नवत अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:
 - मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
 - अवर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ।
 - श्री रामेश्वर, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
 - श्री डी०के० सत्संगी, अधिशासी अभियन्ता, जलकल, लखनऊ।
 - श्री अजीत कुमार, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
 - श्री मुकेश वैश्य, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड-२, शारदा नहर, सिंचाई विभाग।
 - श्री मनोज कुशवाहा, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (शहरी), लखनऊ।
 - श्री आदित्य कुमार पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ।
2. बैठक के प्रारम्भ में सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ०ए० ५१४ / २०२४ के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति तथा उक्त वाद में दिनांक २६-०९-२०२५ को पारित आदेश में जिलाधिकारी महोदय की ओर से दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में माननीय अधिकरण द्वारा अपेक्षित प्रगति सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।
3. यह भी अवगत कराया गया कि दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में मुख्यतः निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रगति अपेक्षित है-
 - ▣ केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा विकसित विकास खण्डवार प्रबन्धन योजना / मैनेजमेन्ट प्लान के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति।
 - ▣ लखनऊ नगर निगम सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडी का विवरण, उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थिति।
4. अवगत कराया गया कि प्रबन्धन योजना के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यदायी विभागों यथा लघु सिंचाई, उद्यान, भूमि संरक्षण, सिंचाई तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गत ०५ वर्षों में किये गये जल संरक्षण कार्यों की सूचना प्राप्त कर ली गयी है।
5. लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बिल्डिंग बाई लॉ के अनुसार भवन का नक्शा स्वीकृति हेतु अनिवार्य रूप से रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का प्राविधान किया जाता है तथा प्राधिकरण द्वारा नगर क्षेत्र में कई वाटर बाँडी का निर्माण कराया गया है।
6. नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ समय पहले बोर्ड ऑफ रिवेन्यू द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में स्थित समस्त वाटर बाँडी तथा उनकी अद्यतन स्थिति का सर्वेक्षण किया गया था।
7. उक्त वाद में सुनवाई की निर्धारित तिथि १७-१२-२०२५ से पूर्व दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति सूचना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:
 - गोमती तथा कुकरैल नदी पर गत वर्षों में कराये गये जल संरक्षण के कार्यों की संकलित प्रगति रिपोर्ट तीन दिवस में भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-सिंचाई विभाग, लखनऊ)

- विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा विकसित/संरक्षित वाटर बॉडीज तथा वेटलैण्ड तथा जल संरक्षण के कार्यों की संकलित प्रगति रिपोर्ट तीन दिवस में भूगर्भ जल विभाग को उपलब्ध करायी जाये।
(कार्यवाही-लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ)

- नगर निगम द्वारा नगर क्षेत्र में स्थित समस्त वाटर बॉडी, अतिक्रमण, जीर्णोद्धार तथा अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए संकलित प्रगति रिपोर्ट दिनांक 10-12-2025 तक भूगर्भ जल विभाग को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
(कार्यवाही-नगर निगम, लखनऊ)

- सम्बन्धित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रतिशपथ पत्र तैयार कर समयबद्ध रूप से माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किय जाये।
(कार्यवाही-भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ)

उक्त निर्देशों के उपरान्त बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।


(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

कार्यालय

मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

सं० ५५९ / भू०ज०वि०ख०ल० / एन०जी०टी० / 2025-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ।
4. समस्त उपस्थित अधिकारीगण।
5. सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ।

दिनांक 5/12/25

(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ

पत्रांक 737/भू0ज0वि0ख0ल0/एन0जी0टी0/2025-26

लखनऊ: दिनांक: नवम्बर, 26, 2025

1. उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (राजस्व), लखनऊ।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ0ए0 594/2024 (News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13-04-2024) में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के आशोक में लखनऊ नगर निगम की वाटर बाडी के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ0ए0 594/2024 (News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13-04-2024) में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के अनुपालन में लखनऊ नगर निगम सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडी का विवरण, उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को दाखिल किए जाने वाले प्रतिशपथ पत्र द्वारा माननीय अधिकरण को अवगत कराया जाना है। माननीय अधिकरण में उक्त वाद की अगली सुनवाई दिनांक 17-12-2025 को निर्धारित है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि विषयगत सूचना सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ, नवां तल इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (gwactlucknow@gmail.com) को प्रेषित करने तथा उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय कि अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2025 को सांय 06.00 बजे से कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी में आहूत बैठक में सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे, जिससे समयबद्ध रूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सके।

भवदीय,


(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ

संख्या _____/भू0ज0वि0ख0ल0/एन0जी0टी0/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ।

(अजय जैन)

मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ

प्रेषक,

नायब तहसीलदार
नगर निगम लखनऊ।

सेवा में,

तहसीलदार
मोहनलालगंज
लखनऊ।

पत्र संख्या ...डी०८८०/आ००३०/२६

दिनांक०८/०१/२०२६

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ०ए० 594/2024(News Item titled) लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत Appearing in navbharattimest.indiatmes.com dated 13-04-2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम की वाटर बाडी के सम्वन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपर जिलाधिकारी, प्रशासन लखनऊ के पत्र संख्या-649/डीएलआरसी/रा०ह०३०अधि०/जल स्तर/2025 नांक 05 दिसम्बर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ०ए० 594/2024(News Item titled) लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत Appearing in navbharattimest.indiatmes.com dated 13-04-2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडीज का विवरण उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थित की जांच नगर निगम से समन्वय स्थापित कर, राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम के माध्यम से अपेक्षित कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्वन्ध में अवगत कराना है कि तहसील-मोहनलालगंज के ग्राम-माढरमऊ खुर्द, माढरमऊ कलौं, सोनई कंजेहरा, हरिकशंगडी व पुरसेनी में स्थित समस्त वाटर बाडीज की उपरोक्तानुसार संयुक्त रूप से तहसील-मोहनलालगंज के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक के साथ पैमाइश किया जाना नितान्त आवश्यक है। ताकि लखनऊ नगर निगम सीमा में स्थित उपरोक्त ग्राम में स्थित वाटर बाडीज का विवरण उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थित स्पष्ट की जा सके।

अतः कृपया तहसील-सरोजनी नगर के तहसील-मोहनलालगंज के ग्राम-माढरमऊ खुर्द, माढरमऊ कलौं, सोनई कंजेहरा, हरिकशंगडी व पुरसेनी में स्थित समस्त वाटर बाडीज की उपरोक्तानुसार संयुक्त रूप से तहसील-मोहनलालगंज के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक के साथ पैमाइश किये जाने हेतु तहसील-मोहनलालगंज के ग्राम-माढरमऊ खुर्द, माढरमऊ कलौं, सोनई कंजेहरा, हरिकशंगडी व पुरसेनी के क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को आदेशित करने का कष्ट करें। लखनऊ नगर निगम का स्थल पर उपस्थित रहेगा।

भवदीय

नायब तहसीलदार
लखनऊ नगर निगम

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय, को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय, को सादर सूचनार्थ।
3. सहायक नगर आयुक्त/प्र०३अधि०, सम्पत्ति महोदय नगर निगम लखनऊ को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, महोदय नगर निगम लखनऊ को सूचनार्थ।

नायब तहसीलदार
लखनऊ नगर निगम



301

26

लखनऊ नगर निगम

प्रेषक,

नायब तहसीलदार
नगर निगम लखनऊ।

सेवा में,

तहसीलदार
सरोजनी नगर
लखनऊ।

पत्र संख्या डी.४४।/आ.०.०।२६

दिनांक ०८/०१/२०२६

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ०ए० 594/2024 (News Item titled) लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत
Appearing in navbharattimest.indiatmes.com dated 13-04-2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम की वाटर बाडी के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपर जिलाधिकारी, प्रशासन लखनऊ के पत्र संख्या-649/डीएलआरसी/रा०ह०अधि०/जल स्तर/2025 नांक 05 दिसम्बर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ०ए० 594/2024 (News Item titled) लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत Appearing in navbharattimest.indiatmes.com dated 13-04-2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडीज का विवरण उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थित की जांच नगर निगम से समन्वय स्थापित कर, राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम के माध्यम से अपेक्षित कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसील-सरोजनी नगर के ग्राम-निजामपुर मझिगवाँ, सेवई, बिरूरा, देवामऊ, बरौली खलीलाबाद में स्थित समस्त वाटर बाडीज की उपरोक्तानुसार संयुक्त रूप से तहसील-सरोजनी नगर के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक के साथ पैमाइश किया जाना नितान्त आवश्यक है। ताकि लखनऊ नगर निगम सीमा में स्थित उपरोक्त ग्राम में स्थित वाटर बाडीज का विवरण उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थित स्पष्ट की जा सके।

अतः कृपया तहसील-सरोजनी नगर के ग्राम-निजामपुर मझिगवाँ, सेवई, बिरूरा, देवामऊ, बरौली खलीलाबाद में स्थित समस्त वाटर बाडीज की उपरोक्तानुसार संयुक्त रूप से तहसील-सरोजनी नगर के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक के साथ पैमाइश किये जाने हेतु ग्राम-निजामपुर मझिगवाँ, सेवई, बिरूरा, देवामऊ, बरौली खलीलाबाद के क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को आदेशित करने का कष्ट करें। लखनऊ नगर निगम का स्थल पर उपस्थित रहेगा।

भवदीय

नायब तहसीलदार
लखनऊ नगर निगम

प्रतिलिपि:—

1. नगर आयुक्त महोदय, को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय, को सादर सूचनार्थ।
3. सहायक नगर आयुक्त/प्र०अधि०, सम्पत्ति महोदय नगर निगम लखनऊ को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, महोदय नगर निगम लखनऊ को सूचनार्थ।

नायब तहसीलदार
लखनऊ नगर निगम



प्रेषक,
नगर आयुक्त
लखनऊ नगर निगम।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

पत्र संख्या डी/112B/MC/कृप/26

दिनांक 10/03/2026

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ0ए0 594/2024 (News Item titled) लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत
Appearing in navbharattimest.indiatmes.com dated 13-04-2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम की वाटर बाडी के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-736/भू0ज0वि0ख0ल0/ एन0जी0टी0/2025-26 दिनांक 24 नवम्बर 2025 एवं कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ के पत्र संख्या-737/भू0ज0वि0ख0ल0/एन0जी0टी0/2025-26 दिनांक 26 नवम्बर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या-ओ0ए0 594/2024 Appearing in navbharattimest.indiatmes.com dated 13-04-2024 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के अनुपालन में लखनऊ नगर निगम सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडी का विवरण उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थित से माननीय अधिकरण को अवगत कराया जाना है।

उक्त के सम्बन्ध में नगर निगम लखनऊ की सीमा में सम्मिलित समस्त ग्रामों में स्थित समस्त वाटर बाडी की अद्यतन स्थिति व उनपर हुये अतिक्रमण की स्थिति की जाँच समस्त तहसीलों के लेखपाल राजस्व निरीक्षक व नगर निगम की टीम द्वारा संयुक्त रूप किया जाना है, जिस हेतु समस्त तहसीलों के लेखपाल राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी, प्रशासन लखनऊ को दिनांक 28.11.2025 को सहायक नगर आयुक्त/प्र0अधि0 सम्पत्ति द्वारा पत्र संख्या-डी 724/का0त0/25 प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन लखनऊ द्वारा दिनांक 09 जनवरी 2026 को पत्र संख्या-664/डी0एल0आर0सी0/2019 एवं दिनांक 05 दिसम्बर 2025 को पत्र संख्या-642/डी0एल0आर0सी0/रा0ह0अधि0/जल स्तर/2025 द्वारा उपजिलाधिकारी, सदर, सरोजनी नगर, बक्शी का तालाब व मोहनलालगंज जिला-लखनऊ को नगर निगम सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडी का विवरण उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थित की वांछित सूचना अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में तहसील-सदर, सरोजनी नगर, बक्शी का तालाब व मोहनलालगंज जिला-लखनऊ की राजस्व टीम व नगर निगम टीम द्वारा नगर निगम सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडी का विवरण उनपर अतिक्रमण तथा अद्यतन स्थिति की जाँच संयुक्त रूप से की गयी, जिसमें उपरोक्त तहसीलों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार नगर निगम सीमा में स्थित तहसील-मोहनलालगंज, सरोजनी नगर, सदर व बक्शी का तालाब में सर्वे किये गये कुल तालाबों की संख्या-1812 जिनका कुल क्षेत्रफल 594.128 हे०, अतिक्रमित क्षेत्रफल 76.919 हे० व अतिक्रमणमुक्त क्षेत्रफल 517.209 हे० है जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(गौरव कुमार)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. अपर नगर आयुक्त(पी0के0), नगर निगम लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उपजिलाधिकारी(सदर/सरोजनी नगर/बक्शी का तालाब/मोहनलालगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक नगर आयुक्त/प्र0अधि0, सम्पत्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(गौरव कुमार)
नगर आयुक्त

वाटर बाजीज के सम्बन्ध में विवरण:-

क्र0	तहसील का नाम	कुल तालाबों की सं०	कुल क्षेत्रफल हे० में	अतिक्रमिit क्षेत्रफल हे० में	अतिक्रमणमुक्त क्षेत्रफल हे० में
01	मोहनलालगंज	73	20.601	0.619	19.982
02	सरोजनी नगर	823	379.163	28.254	350.909
03	सदर	725	140.175	43.583	96.592
04	बक्शी का तालाब	191	54.189	4.463	49.726
कुल:-		1812	594.128	76.919	517.209

303


 सहायक निरीक्षक
 नगर निगम
 लखनऊ


 नायब तहसीलदार
 नगर निगम, लखनऊ


 नायब तहसीलदार
 नगर निगम, लखनऊ


 तहसीलदार
 नगर निगम, लखनऊ


 प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
 नगर निगम लखनऊ
 09/03/26



कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

<p>प्रेषक :</p> <p>सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।</p>	<p>सेवा में,</p> <p>सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-लखनऊ, नवां तल, इन्दिरा भवन, उ०प्र०, लखनऊ।</p>
<p>पत्रांक : 462/सि.व./कृ.अ.०/२५</p> <p>दिनांक : १/१२/२०२५</p>	

विषय

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या-ओ०ए० 594/2024 (News Item titles "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13-04-2024) में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के आलोक में लखनऊ नगर निगम की वाटर बाडी के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-736/भू०ज०वि०ख०ल०/एन०जी०टी०/2025-26, दिनांक 24 नवम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या-ओ०ए० 594/2024 (News Item titles "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13-04-2024) में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के अनुपालन में लखनऊ नगर निगम की सीमा में स्थित समस्त वाटर बाडी का विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न जोन्स से प्राप्त संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ।

सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

FORMAT FOR DATA REGARDING WATER BODIES UNDER MUNICIPAL CORPORATION LUCKNOW

दिनांक 08.12.2025

S.No	Name & Location of Water Body	Area (Ha./Sqm.)	Present Condition	Encroachment Details (if any)	Restoration/Rejuvenation Action	Remarks
1	सी0जी0 सिटी योजना के अन्तर्गत वेटलेण्ड	14.97 हे0	पर्यटन/आगंतुकों द्वारा संतोषजनक रूप से विकसित वेटलेण्ड का उपयोग किया जा रहा है।	-	प्राधिकरण द्वारा वेटलेण्ड के रूप में जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया, जिसके अन्तर्गत गार्डिंग पाथवे, घाट, ग्राव टीवर, यूटिलिटी डेक आदि का कार्य सम्मिलित है।	प्राधिकरण द्वारा संचालित
2	शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रक्षा खण्ड उत्पन्न (सीतल खेड़ा गांव) में स्थित झील।	4.45 हे0 (लगभग)	प्राकृतिक रूप में।	नहीं।	सौन्दर्यकरण हो चुका है।	अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है।
3	शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रत्न खण्ड में स्थित तालाब।	0.50 हे0 (लगभग)	प्राकृतिक रूप में।	नहीं।	सौन्दर्यकरण हेतु परताव तैयार किया जा रहा है।	-
4	शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रायवरेली रोड स्थित छ: झीलें।	2.70 हे0 (लगभग)	प्राकृतिक रूप में।	नहीं।	सौन्दर्यकरण हो चुका है।	अनुरक्षण कार्य हेतु आगमन स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
5	मान्यवर श्री काशीराम जी सांस्कृतिक स्थल में स्थित झील।	0.50 हे0 (लगभग)	प्राकृतिक रूप में।	नहीं।	सौन्दर्यकरण हो चुका है।	-
6	सर्वर-ई, सीतापुर रोड, योजना अन्तर्गत तालाब	0.19 हे0	80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण।	नहीं।	सौन्दर्यकरण का कार्य प्रगति पर है।	20 प्रतिशत कार्य अवशेष।
7	जानकीपुरम विस्तार योजना सर्वर-3	1.23 हे0	कार्य पूर्ण।	नहीं।	कार्य पूर्ण।	कार्य पूर्ण।
8	पेशवाग योजना स्थित जमुना झील/माती झील	11.40 हे0	पेशवाग योजना स्थित जमुना झील/माती झील के संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण का कार्य प्रगति पर है।	-	सौन्दर्यकरण कार्य के अन्तर्गत विकसित जमुना झील पार्क का जीर्णोद्धार कार्य, झील के संरक्षण/सौन्दर्यकरण हेतु बाउण्ड्रीवाल/कॉन्सिंग का कार्य एवं डि-सिल्टिंग आदि का कार्य सम्मिलित है।	-

AK

AK

AK

9	कैम्पवेल रोड पर धाना तालकटोरा क्षेत्र में पाल तिराहे के पास काला पहाड़ झील	4.46 हे०	विकसित	-	स्थल पर कराये गये सौन्दर्यकरण/झील के पुनरोद्धार का कार्य के अन्तर्गत झील के चारों ओर स्तोप स्थायित्वकरण का कार्य, वार्किंग पाथवे आदि का कार्य कराया गया है।
10	बदलर पैलेस स्थित बदलर झील	3.44 हे०	विकसित	-	स्थल पर कराये गये सौन्दर्यकरण/झील के पुनरोद्धार का कार्य के अन्तर्गत झील के चारों ओर स्तोप स्थायित्वकरण का कार्य, वार्किंग पाथवे, बुडेन ब्रिज, गजीनो, कैफेटेरिया, लेण्डस्केपिंग, हार्टीकल्चर आदि का कार्य कराया गया है।
11	एराबान योजना स्थित सुप्पा झील	4.80 हे०	वर्तमान समय में झील का संरक्षण/पुनरोद्धार का कार्य प्रस्तावित है।	-	झील के संरक्षण कार्य प्रस्तावित है।
		48.64 हे०			
		अर्थात् 4.86.400 वर्गमी०			

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

प्रेषक,
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

1. उपायुक्त मनरेगा, लखनऊ।
2. जिला पंचायती राज अधिकारी, लखनऊ।
3. भूमि संरक्षण अधिकारी, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
5. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, लखनऊ।

संख्या:- 616 / भू०ज०वि०ख०ल० / एन०जी०टी०

लखनऊ:दिनांक:अक्टूबर 15, 2025

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ०ए० 594 / 2024 (News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 160 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13-04-2024) में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के आलोक में की गयी प्रगति के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई-दिल्ली में लम्बित Original Application No. 594/2024 में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा की गई National Aquifer Mapping तथा ब्लाकवार तैयार किये गये Management Plan माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया गया। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई-दिल्ली द्वारा दिनांक 26-09-2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में विकास खण्डवार (सूची संलग्न) प्रबन्धन योजना (Management Plan) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराया जाना है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई-दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 26-09-2025 के अनुपालन में तैयार किये गये Management Plan के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति 15 दिवस के अन्दर सहायक अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विशाख जी)

जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या 616 / भू०ज०वि०ख०ल० / एन०जी०टी० / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. सीनियर हाइड्रॉजियोग्राफिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ।

(विशाख जी)

जिलाधिकारी, लखनऊ

Details of work done from year 2020 till date

S.no.	Block	Soil Moisture conservation Work (Bunds, Field channels, levelling etc) (Name & area)	No.of farm ponds	Other Interventions Related to Groundwater Saving (Type & area)	Remarks
1	Bakshi ka talab	Contour Bund- 29.27 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 61.10 hectare, Levelling- 42.11 hectare	1		
2	Chinhat	Contour Bund- 43.23 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 70.30 hectare, Levelling- 45.19 hectare	1		
3	Mohanlalganj	Contour Bund- 24.18 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 20.00 hectare, Levelling- 21.00 hectare, Check Dam-5.8 hectare	6		
4	Gosaiganj	Contour Bund- 137.40 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 189.81 hectare, Levelling- 151.87 hectare, Check Dam- 7.00 hectare	1		
5	Kakori	Contour Bund- 69.73 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 175.80 hectare, Levelling- 21.00 hectare	1		
6	Mal	Contour Bund- 284.70 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 433.96 hectare, Levelling- 165.80 hectare, Check Dam- 48.66 hectare	9		
7	Malitabad	Contour Bund- 204.63 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 392.27 hectare, Levelling- 98.40 hectare, Check Dam- 18.08 hectare	1		
8	Sarojani Nagar	Contour Bund- 28.19 hectare, Marginal/Peripheral Bund- 61.96 hectare	52		


 भूमि संरक्षण अधिकारी
 लखनऊ

प्रेषक,

जिला उद्यान अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विचार अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक- 2077-79 / पी०डी०एम०सी० / 2025-26

दिनांक- 28 नवम्बर, 2025

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ०ए० 594/2024 (News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल; 10 साल में 100 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13-04-2024) में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-738/भू०ज०वि०ख०ल०/एन०जी०टी०/2025-26/लखनऊ/दिनांक-26.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित वाद संख्या ओ०ए० 594/2024 (News Item titled "लखनऊ में पानी चला रसातल, 10 साल में 100 फुट नीचे चला गया जल स्तर, मिल रहे खतरनाक संकेत" appearing in navbharattimes.indiatimes.com dated 13-04-2024) में पारित आदेश दिनांक 26-09-2025 के अनुपालन में अद्यतन प्रगति से माननीय अधिकरण को अवगत कराने हेतु निर्धारित तिथि 17-12-2025 को दाखिल किए जाने वाले प्रतिशपथ पत्र पर विमर्श हेतु दिनांक 25-11-2025 को समय 18:00 बजे स्थान जिलाधिकारी, कैम्प कार्यालय लखनऊ में बैठक आहूत की गयी है। जिसमें निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के क्रम में वांछित सूचना तैयार कराकर निर्धारित प्रारूप पर संलग्नकर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिला उद्यान अधिकारी,
लखनऊ।

पृष्ठांक सं०-2077-79 / उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ।

जिला उद्यान अधिकारी,
लखनऊ।

FORMAT FOR COLLECTION OF DATA AGAINST IMPLEMENTATION OF BLOCKWISE WATER MANAGEMENT PLAN

DEPARTMENT-HORTICULTURE

HORTICULTURE

Details of work done from year 2020 till date

Block	Micro-irrigation coverage area (Drip/sprinkler)	Other Interventions Related to Groun water Saving (Type & area)	Remarks
Bakshi Ka talab	78.66	-	-
Chinhat	26.21	-	-
Mohanlalganj	90.15	-	-
Gosaiganj	47.43	-	-
Kakori	86.03	-	-
Mall	293.69	-	-
Malihabad	236.60	-	-
Sarojinagar	65.42	-	-
Total	924.19	-	-

District Horticulture Officer

Lucknow

प्रेषक,

उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा),
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक 421 / मनरेगा / NGT / पत्रासं-0224 / 2024-25 दिनांक 27 नवम्बर 2025
महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-738/भूजोविखण्ड/एनजीटी/2025-26 दिनांक-26.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में लम्बित याद संख्या ओ०ए० 594/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में विकास खण्डवार जल प्रवन्धन योजना से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में याँछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरील कुमार सिंह),
उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा),
लखनऊ।

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-1-सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग खण्ड-लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

3- जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

उपायुक्त श्रम रोजगार (मनरेगा),
लखनऊ।

FORMAT FOR COLLECTION OF DATA AGAINST IMPLEMENTATION OF BLOCKWISE WATER MANAGEMENT PLAN

Details of work done from year 2020 till date

DEPARTMENT-Rural Development/Minor Irrigation/BDO
M.N.R.E.G.A

Block	Check dam/Earthen Dam/Nala bund (Number & location)	Other Interventions Related to Groundwater Saving (Type, Area and number)	Remarks
1	2	3	4
Bakshi Ka Talab	0	Pond 148	MGNREGA
CHINHAT	0	Pond 11	MGNREGA
Mohanlaljanj	2 bund	Pond 142	MGNREGA
Gosaijanj	2 bund	Pond 135	MGNREGA
Kakori	0	Pond 39	MGNREGA
Mal	0	Pond 88	MGNREGA
Malhabad	1 bund	Pond 77	MGNREGA
Sarojani Nagar	0	Pond 102	MGNREGA
Total	5	742	

लघु सिंचाई, जनपद-लखनऊ के 01 से 05 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले तालाबों की सूचना

Ponds.

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	1.0 हेक्टेयर से 5.0 हेक्टेयर के क्षेत्रफल वाले निर्मित तालाबों की संख्या
1	काकोरी	—
2	चिनहट	4
3	बी०के०टी०	5
4	मोहनलालगंज	10
5	माल	—
6	मलिहाबाद	—
7	गोसाईगंज	—
8	सरोजनीनगर	2
9	योग	21



सहायक अभियन्ता (ल०सि०),
उपखण्ड, लखनऊ।

Checkdams

क्र०सं 0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	चैकडैम/एनीफ्ट निर्माण योग्य नदी/नाले का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल निर्मित चैकडैमों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	मलिहाबाद	वेहता नाला	बुधड़िया	1
2		वी०के०टी०	-	-	-
3		मोहनलालगंज	वरेर नाला	भदसुआ	1
4		गोसाईगंज	लोनी नाला	दई टीकर	4
			वरकत नाला	भदटी	2
			नया नाला	भौराखुर्द	2
			भौराखुर्द	भौराखुर्द	2
5		माल	अखण्डी नाला	गुमसेना	1
			झींगी नाला	पीरनगर, जगदीशपुर बुजुर्ग, मशीरा हमीर	3
6		काकोरी	नगवा नाला	-	-
			वेहता नाला	रिगामऊ	2
			झींगी नाला	सरसण्डा	3
7		चिनहट	-	-	-
1		सरोजनीनगर	नगवा नाला	भदोई	1
	लोन्हा			1	
	गढी चुनौटी			1	
	मवई पड़ियाना			1	
	बेंती			1	
	अन्धपुर देव			1	
	भदोई-2			1	
	दरियापुर			1	
	रामवौरा			1	
पुराहीखेड़ा	1				
योग					31

(राहुल कुमार)

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई,
लखनऊ।


ANNEXURE-5

FORMAT FOR COLLECTION OF DATA AGAINST IMPLEMENTATION OF BLOCK WISE WATER
MANAGEMENT PLAN
DEPARTMENT-IRRIGATION IRRIGATION DEPT

BLOCK	STREAM DEVELOPMENT/SILT CLEANING WORKS (KM.)						TOTAL	OTHER INTERVENTIONS RELATED TO GROUNDWATER SAVING (TYPE & AREA)	REMARK
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26			
BKT	131.204	131.204	131.204	131.204	131.204	131.204	787.224	-	-
CHINHUT	9.850	9.850	9.850	10.360	10.410	10.410	60.730	-	-
MOHANLALGA NI	154.491	169.600	193.023	121.464	164.928	123.544	927.050	-	-
GOSAIGANJ	135.181	136.771	136.771	113.820	127.720	156.221	806.484	-	-
KAKORI	68.217	67.553	67.553	38.143	56.383	110.588	408.437	-	-
MAL	56.200	51.240	51.240	68.960	69.260	66.611	363.511	-	-
MALIHABAD	74.356	68.200	50.876	75.956	75.956	73.461	418.805	-	-
SAROJNINAGAR	150.838	125.508	125.508	65.604	117.793	107.223	692.474	-	-
TOTAL	780.337	759.926	766.025	625.511	753.654	779.262	4464.715	-	-
Drain Data	329.265	398.838	253.772	391.464	229.604	587.594	2190.537	-	-

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:-

- सिंचाई विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में विगत पाँच वर्षों में 2190.537 किमी० ड्रेनों की सफाई का कार्य किया गया।
- वर्तमान में विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में गोमती नदी (आई०आई०एम० रोड से शहीद पथ तक) की सफाई का कार्य कराया जा रहा है।
- सिंचाई विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में गोमती नदी की सहायक नदी कुकरैल नदी के शहरी क्षेत्र (किमी० 0.000 से किमी० 4.470) में सिल्ट सफाई का कार्य किया गया। डि-सिल्टिंग होने से वहाँ पर रिचार्ज कैपेसिटी बढ़ी है।
- सिंचाई विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में उदयगंज स्थित आवासियों कालोनियों में 4.20 हेक्टेयर भूमि पर कुल 10 रिचार्ज वेल का निर्माण किया गया है तथा यहाँ पर रेन-वाटर हार्वेस्टिंग को पूर्ण रूप से विकसित किया जा रहा है जिससे 'जीरो' रन ऑफ की ओर अग्रसर हुआ जा सके।


 अधिरासी अभियन्ता
 (नोडल सिंचाई विभाग)
 लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर
 लखनऊ

महत्वपूर्ण/ई-मेल
संख्या-417/आठ-3-26-167 विविध/2018

प्रेषक,

पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 2 फरवरी, 2026

विषय:- भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

आप अवगत हैं कि जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है जो हमें, वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है, परन्तु भू-जल स्रोतों के अनियोजित तथा अनियंत्रित दोहन के कारण भूगर्भ जल के स्तर में लगातार तीव्र गिरावट जारी है। जल स्तर गिरने के साथ-साथ सरफेस वाटर विशेष रूप से तालाब, पोखर, जलाशय आदि के सूखने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में जल के उपयोग एवं सतही तथा भू-गर्भीय जल स्रोतों के संरक्षण, मितव्ययिता, वर्षा जल संचयन तथा जल प्रबन्धन की महती आवश्यकता है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय तथा पर्यावरण अनुकूल तकनीकों/पद्धतियों को अपनाया जाना अपरिहार्य है।

2- जल संसाधन के संरक्षण, संवर्धन तथा संचयन के लिए समय-समय पर शासन द्वारा निम्नवत शासनादेश जारी किए गए हैं तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों में भी सम्यक प्राविधान किए गए हैं:-

क्र०सं०	विषय	शासनादेश
1.	ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के संबंध में।	1703ए/9-आ-1-29-विविध/98 (आ०ब०) दिनांक 12 अप्रैल, 2001
2.	स्थानीय निकायों के कार्यालय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग परियोजना लागू करने के संबंध में।	3887/440/9-आ-1-रेन वा. हार्वे. एवं ग्राउण्ड रिचा/2002 (आ०ब०) दिनांक 02 सितम्बर, 2002
3.	सरकारी भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन के संबंध में।	1760/9-आ-1-04-17 विविध/03, दिनांक 29 जुलाई, 2004
4.	भू-जल संरक्षण रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के संबंध में।	यू०ओ०-35/आठ-1-2005, दिनांक 25 अप्रैल, 2006
5.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नीति के क्रियान्वयन हेतु अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के संबंध में।	3982/आठ-1-06-17 विविध/03टी०सी० दिनांक 01 जुलाई, 2008

6.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के संबंध में।	1675/आट-3-18-167 विविध/18, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018
7.	मानसून से पूर्व जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन हेतु विशेष अभियान चलाये जाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में।	1184/आट-3-21-167 विविध/18 दिनांक 08 अप्रैल, 2021
8.	मानसून से पूर्व जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन हेतु विशेष अभियान चलाये जाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में।	1630(1)/आट-3-21-167 विविध/18 दिनांक 16 जुलाई, 2021
9.	मानसून से पूर्व जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन हेतु विशेष अभियान चलाये जाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में।	2340/आट-3-21-167 विविध/18 दिनांक 24 अगस्त, 2021
10.	मानसून से पूर्व जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन हेतु विशेष अभियान चलाये जाने तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में।	2340(2)/आट-3-21-167 विविध/18 दिनांक 15 नवम्बर, 2021
11.	जल शक्ति अभियान कैच द रेन-2022 के सफल क्रियान्वयन के संबंध में।	949/आट-3-22-167 विविध/18 दिनांक 26 मई, 2022
12.	भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के संबंध में।	1556/आट-3-22-167 विविध/18 दिनांक 30 जून, 2022

3- शासनादेश संख्या-1323/2025/8-3099/208/2025 दिनांक 04 जुलाई, 2025 द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा जोनिंग रेगुलेशन्स, 2025 जारी किए गए हैं, जो प्रदेश के विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में वर्तमान में प्रभावी हैं। इस उपविधि के प्रस्तर 13.1 में जल संरक्षण के प्राविधान दिए गए हैं, जिसके अन्तर्गत प्रस्तर-13.1.1 में निर्माण के समय जल प्रबंधन तथा प्रस्तर-13.1.2 में वर्षा जल संचयन के संबंध में निम्न प्राविधान दिए गए हैं:-

13.1 जल संरक्षण

13.1.1 निर्माण के समय जल प्रबंधन

निर्माण हेतु अधिकृत स्रोतों से जल का उपयोग किया जाएगा। जहां निर्माण हेतु भूगर्भ जल का उपयोग किया जाता है, वहां संबंधित भूगर्भ जल प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। पूर्वनिर्मित घटकों, प्री-मिक्स कंक्रीट, क्योरिंग एजेंट आदि का उपयोग करके कम जल की खपत वाली निर्माण विधियों को अपनाया जा सकता है।

निर्माण स्थलों पर पेयजल का उपयोग केवल पानी पीने, मानवीय गतिविधियों तथा कंक्रीट-कार्यों हेतु किया जाएगा। किसी भी अन्य निर्माण गतिविधि हेतु पीने योग्य जल के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जल के उपयोग हेतु सभी आवश्यक मापदंडों का अनुपालन करने के उपरांत, उपयुक्त स्रोतों से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग ऐसे निर्माण कार्यों में किया जाना चाहिए।

13.1.2 वर्षा जल संचयन

वर्षा जल संचयन नीचे दी गई तकनीकों को अपनाकर प्राप्त किया जाएगा:

क) भविष्य में उपयोग हेतु वर्षा जल का सतह पर भंडारण; तथा

ख) भूगर्भ जल पुनर्भरण सभी सार्वजनिक खुले स्थानों एवं मनोरंजन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जाएगी।

विकास अनुज्ञा हेतु ले-आउट/उप-विभाजन योजना की आवश्यकताएं

क) नई योजना बनाने से पूर्व, क्षेत्र का भूवैज्ञानिक/जल विज्ञान संबंधी/जलभूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा भूगर्भ जल पुनर्भरण हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उचित विधि अपनाई जानी चाहिए।

ख) 10 एकड़ (4 हेक्टेयर से अधिक) से अधिक क्षेत्रफल वाली योजनाओं के ले-आउट प्लान में, पार्कों एवं खुले क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित भूमि के भीतर उपयुक्त स्थानों पर जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें, ऐसा क्षेत्र कुल योजना क्षेत्र का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। योजना में ऐसे जलाशयों का निर्माण करने से पूर्व, प्राकृतिक वर्षा जल संग्रहण क्षेत्रों की पहचान करते समय, ऐसे जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाएगी तथा वर्षा जल की परिकल्पित मात्रा, जल-भूवैज्ञानिक, स्थलाकृति (टोपोग्राफी), आश्मविज्ञान (लीथोलॉजी), क्षेत्र की मिट्टी के गुणधर्म, प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित प्रतिधारण एवं ठहराव तथा उसकी व्यवहार्यता का अध्ययन/मूल्यांकन किया जाएगा। जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उस योजना के 'सतही-अपवाह' (surface-run-off) को ही डालने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उसमें प्रदूषित जल एवं अपशिष्ट नहीं मिलाया जाना चाहिए। पार्क एवं खुले क्षेत्र के एक कोने में निर्धारित मानकों के अनुसार रिचार्ज पिट/रिचार्ज शाफ्ट बनाया जाना चाहिए। ऐसे पुनर्भरण गड्डों/पुनर्भरण शाफ्टों एवं जलाशयों का निर्माण क्षेत्रीय जल-भूविज्ञान के अनुसार ढलान की दिशा में किया जाना चाहिए।

ग) पार्कों में कंक्रीट का निर्माण 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें कंक्रीट फुटपाथ तथा ट्रैक सम्मिलित है, तथा जहां तक संभव हो सके, 'पारगम्य' (permeable) अथवा अर्थ-पारगम्य छिद्रित ब्लॉकों का उपयोग किया जाना चाहिए। पार्कों एवं खुले क्षेत्रों में वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

घ) सड़कों, पार्कों एवं खुले स्थानों पर ऐसे वृक्ष-पौधे लगाए जाएंगे, जिन्हें कम जल की आवश्यकता हो एवं जो कम जल अवशोषित कर सकें तथा गर्मियों में भी हरे-भरे रहें।

ङ) नई योजनाओं के ले-आउट प्लान में जलापूर्ति, जल निकासी एवं सीवेज नेटवर्क जैसी अवस्थापना सुविधाओं के अतिरिक्त, छत पर वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूगर्भ जल के सामूहिक पुनर्भरण हेतु अन्य पृथक नेटवर्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें एकल भूखंडों/भवनों हेतु पुनर्भरण गड्डों (रीचार्जिंग पिट्स) की व्यवस्था तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर पुनर्भरण संरचनाओं की व्यवस्था होगी।

च) नवीन योजनाओं के ले-आउट प्लान में 100-300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखंडों हेतु यदि भवनों के समूह से वर्षा जल योजना के सामूहिक पुनर्भरण (कलेक्टिव रीचार्जिंग) नेटवर्क में प्रवाहित होता है, तो एकल भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य नहीं होगा। यद्यपि, 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर निर्मित होने वाले भवनों के संबंध में, भवन स्वामी द्वारा स्वयं वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञा हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए भवन मानचित्र की आवश्यकताएं

सामूहिक पुनर्भरण नेटवर्क न होने की स्थिति में, जलभराव वाले क्षेत्रों को छोड़कर 300 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल (गुप हाउसिंग सहित) के सभी उपयोगों वाले भूखंडों में छत पर

वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाएगी। वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक मिट्टी में जाने दिया जाएगा, ताकि भूगर्भ जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में भूगर्भ जल पुनर्भरण प्रणाली नहीं अपनाई जानी चाहिए, यद्यपि भवनों की छतों से प्राप्त वर्षा जल को एकत्र करने की व्यवस्था की जा सकती है।

भवनों एवं निर्माण हेतु आवश्यक पर्यावरणीय शर्तें (समय-समय पर यथा संशोधित):

भवनों का निर्मित क्षेत्र	अपेक्षाएं
भवन या निर्माण परियोजनाएँ या क्षेत्र विकास परियोजनाएँ और टाउनशिप =>20,000 से <50,000 वर्गमीटर	<ul style="list-style-type: none"> वर्षा जल संचयन, जल दक्षता और संरक्षण के लिए एक पूर्ण योजना तैयार की जानी चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए। कम प्रवाह वाले (low flow) फिक्सचर या सेंसर्स जल दक्षता वाले उपकरणों का उपयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन हेतु स्थानीय उपविधियों के प्राविधानों का पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई स्थानीय उपविधि उपलब्ध नहीं है, तो भंडारण और पुनर्भरण के लिए शहरी विकास मंत्रालय की मॉडल बिल्डिंग उपविधि, 2016 के अनुसार पर्याप्त प्राविधान किया जाना चाहिए।
औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावास 20,000 वर्गमीटर से <1,50,000 वर्गमीटर	<ul style="list-style-type: none"> वर्षा जल संचयन योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि प्रत्येक 5,000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में न्यूनतम एक पुनर्भरण बोर हो तथा कुल ताजे पानी (fresh water) की आवश्यकता के न्यूनतम एक दिन की भंडारण क्षमता प्रदान की जाएगी। जिन क्षेत्रों में भूगर्भ जल पुनर्भरण संभव नहीं है, वहाँ वर्षा जल को संचित कर पुनः उपयोग हेतु भंडारण किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना भूगर्भजल का उत्कर्षण नहीं किया जाना चाहिए। समस्त पुनर्भरण को केवल उथले जलभृत (shallow aquifer) तक सीमित रखा जाना चाहिए। स्थानीय भवन उपविधि के अनुसार आवश्यक खुले स्थलों का न्यूनतम 20 प्रतिशत पारगम्य होना चाहिए। घास के पेवर्स, पेवर ब्लॉक, लैंडस्केप आदि का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत खुलापन (opening) हो, ताकि इसे पारगम्य सतह के रूप में माना जा सके।

4- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों तथा उक्त शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कड़ाई से अनुपालन किये जाने एवं योजनाओं के पार्को, खुले स्थानों की वाटर हार्वेस्टिंग कराये जाने व नगर की महायोजना के राजस्व अभिलेखों में दर्ज विद्यमान पोखर, तालाब एवं वॉटर बॉडीज को संरक्षित किये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5- विदित है कि जल संरक्षण वर्षा जल संरक्षण, ग्राउण्ड वाटर बॉडीज के संरक्षण के संबंध में समस्त अभिकरण से सूचना प्राप्त करते हुये परीक्षणोपरान्त संकलित कर शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश संख्या-7/2021/1184/आठ-3-21-167

विविध/18 दिनांक 08.04.2021 द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है एवं सूचना प्रेषित करने हेतु प्रारूप भी निर्धारित किया गया है (प्रारूप पुनः संलग्न)। अतएव सभी अभिकरणों से संलग्न प्रारूप के अनुसार सूचना प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त संकलित सूचना निदेशक, आवास बन्धु द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं माह के अंतिम कार्य दिवस को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(पी० गुरुप्रसाद)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मासिक प्रगति समीक्षा बैठक में अनुश्रवण हेतु सम्मिलित कराने का कष्ट करें।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार राय)

विशेष सचिव।

